न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी– नवनीत कुमार, आई. ए. एस.

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./129/2025/बाड़मेर

अपीलांटस	**रेस्पोडेंटगण**
1. मगाराम पुत्र भैराराम 2. लुम्भाराम पुत्र भैराराम 3. गुमना पुत्र उतमा 4. चांदा पुत्र उतमा 5. मांगाराम पुत्र उमाराम 6. भोजाराम पुत्र उमाराम 7. मूमलदेवी पत्नी उमाराम, जाति मेघवाल, निवासी नागदड़ा, तहसील शिव, जिला बाड़मेर।	1. पेमाराम पुत्र पुरखाराम 2. मंगलीदेवी पत्नी पुरखाराम 3. मोहनलाल पुत्र पुरखाराम. 4. शिवलाल पुत्र पुरखाराम 5. किरपाराम पुत्र नवलाराम 6. दीपाराम पुत्र नवलाराम 7. जगमालराम पुत्र नवलाराम 8. राजाराम पुत्र नवलाराम 9. लीलाराम पुत्र नवलाराम 10. गोपाराम पुत्र छगनाराम 11. मोबताराम पुत्र छगनाराम 12. रेवताराम पुत्र छगनाराम 13. छगनाराम पुत्र धाराराम 14. नवलाराम पुत्र धाराराम 15. भगवानाराम पुत्र धाराराम 16. तिलोकाराम पुत्र धाराराम 17. गोरधनराम पुत्र उतमाराम, जाति मेघवाल, निवासी नागड़दा, तहसील शिव, जिला बाड़मेर। 18. शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा शिव। 19. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, शिव, जिला बाड़मेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव द्वारा राजस्व वाद संख्या 157/2022 बउनवान पेमाराम वगैरह बनाम किरपाराम वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.05.2024 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति–

1. वकील श्री हुकमसिंह चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री सुरेश पुनड़ रेस्पों. संख्या 1, 3, 4 एवं 12 से 15 की ओर से।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

3. शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित।

—:निर्णय:—

दिनांक:—29.08.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पों. संख्या 1 से 4/वादीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट्स की संयुक्त खातेदारी की अपीलाधीन आराजी भूमि मौजा नागड़दा, तहसील शिव के खसरा संख्या 435 रकबा 58.6065 हेक्टेयर का आया हुआ है तथा मौके पर मौखिक बंटवारा किया हुआ है तथा राजस्व रेकार्ड में अलग—अलग हिस्से खुले हुऐ हैं परन्तु अभी तक विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। जिस कारण पक्षकारान के मध्य कब्जे काश्त को लेकर विवाद रहता है, इसलिए रेस्पोंडेंट संख्या 01/वादी अपने हिस्से की भूमि का मौके पर कब्जा—काश्त के अनुसार बंटवारा करवाना चाहते हैं, जिस हेतु अपीलाधीन वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज कर प्रतिवादी (अपीलांट) के नाम से प्रथम बार सम्मन जारी किये गये। अपीलांट के नाम से जारी सम्मन अपीलांट से व्यक्तिगत रूप से तामील नहीं हुये फिर भी अपीलांट की गलत रूप से एकतरफा कार्यवाही करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन प्राथमिक डिक्री दिनांक 27.05.2024 को जारी की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिससे व्यथित होकर हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि रेस्पों. संख्या 1 से 4/वादीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट्स की संयुक्त खातेदारी की अपीलाधीन आराजी भूमि मौजा नागड़दा, तहसील शिव के खसरा संख्या 435 रकबा 58.6065 हेक्टेयर का आया हुआ है तथा मौके पर मौखिक बंटवारा किया हुआ है तथा राजस्व रेकार्ड में अलग—अलग हिस्से खुले हुऐ हैं परन्तु अभी तक विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। जिस कारण पक्षकारान के मध्य कब्जे काश्त को लेकर विवाद रहता है, इसलिए रेस्पोंडेंट संख्या 01/वादी अपने हिस्से की भूमि का मौके पर कब्जा—काश्त के अनुसार बंटवारा करवाना चाहते हैं, जिस हेतु अपीलाधीन वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज कर प्रतिवादी (अपीलांट) के नाम से प्रथम बार

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

सम्मन जारी किये गये अपीलांट के नाम से जारी सम्मन अपीलांट से व्यक्तिगत रूप से तामील नहीं हुये फिर भी अपीलांट की गलत रूप से एकतरफा कार्यवाही करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन प्राथमिक डिक्री दिनांक 27.05.2024 को जारी की गई। अपीलांट के नाम से जारी सम्मन अपीलांट से व्यक्तिगत रूप से तामील नहीं हुये और न ही डाक से कोई सम्मन प्राप्त हुआ, अपीलांट्स के सम्मन आबाद मकान पर चस्पा करने बताये गये तब प्रतिवादी सख्या 10 व 11 नवलाराम व भगवानाराम की उपस्थिति दर्शाई गई है जो स्वतंत्र मौतबीर (गवाहान) नहीं है। उक्त प्रतिवादीगण का हित अपीलांट्स के विरूद्ध है। अपीलांट्स के सम्मनों पर तामील कुनिंदा द्वारा अपीलांट का बाहर जाना बताते हुए गलत तथ्यों का अंकन कर आबाद मकान पर चस्पा का गलत अंकन करवाया। जिससे साबित है कि अपीलांट को वाद की कोई सूचना प्राप्त हुई हो। जिस कारण अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हो जाये। अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपीलांट की तामील के बारे में कोई जांच नहीं की। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तामील की प्रक्रिया सीपीसी आदेश 5 नियम 17 से 20 के अनुसार पूरी किये बिना ही जारी की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्मन को विधिवत रूप से अपीलांट से तामील नहीं करवाया गया है तथा अपीलांट के नाम से प्रथम बार ही डाक से नोटिस जारी किये गये हैं जबकि विधिवत रूप से प्रथम बार में ज़रिये तामील कुनिंदा से सम्मन तामील करवाया जाना आवश्यक है परन्तु हस्तगत प्रकरण में प्रथम बार में ही डाक से नोटिस भेजे गये तथा नोटिस अपीलांट से विधिवत तामील ही नहीं हुई है तथा डाक मिलने की ए.डी. भी पत्रावली में मौजूद नहीं है। न ही अपीलांट ने किसी को अधिवक्ता को नियुक्त किया न ही किसी अधिवक्ता को वकालतनामा या अन्य कोई दस्तावेज दिया था। इस प्रकार अपीलांट न तो स्वयं और न ही वकालतन अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित थे। फिर भी अपीलांट के विरूद्ध विधि के विपरीत जाकर एकतरफा कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है। हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी लुम्भाराम व मगाराम दोनों के पिता का हिस्सा गलत दर्ज करने पर उसमें सुधार करने हेतु इस खसरा संख्या 435 का अलग से राजस्व वाद संख्या 145/2022 अन्तर्गत धारा 88, 91, 92(क), 53, 188, 207 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर रखा है। इस प्रकार दोनों प्रश्नगत दावे एक साथ कान्सोलिडेट (हमफीता) होकर एक साथ ही निर्णय होना चाहिये था किन्तु रेस्पों. संख्या 01 से 04 ने उक्त वाद संख्या 145/2022 के तथ्यों को छुपाते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित करवाया है। उक्तानुसार वादी (रेस्पोडेन्ट) ने अधीनस्थ न्यायालय को गुमराह करते हुऐ तथा बिना साक्ष्य पेश किये व बिना तनकीयात कायम किये ही अपीलांट की गलत तरीके से तामील मानते हुए अपीलांधीन निर्णय एकतरफा पारित करवाया। उक्त अपीलांधीन निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई तथ्यों की जांच किये तथा बिना प्रतिवादी (अपीलांट) को सूचना प्रदान किये विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना

(...कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों से परे जाकर विधि विरूद्ध अपीलांधीन निर्णय पारित किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

साथ ही वकील अपीलांट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण की समस्त आदेशिकाओं के अवलोकन मात्र से ही स्पष्ट है कि वाद कार्यवाही नियमित रूप से संचालित नहीं की गई। तथा प्रतिवादी(अपीलांट) को बिना सूचना प्रदान किये ही आनन–फानन में ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेकार्डेड खातेदार अपीलांट के हितों पर भारी कुठाराघात किया है। अपीलांट वादग्रस्त आराजी का रेकार्डेड खातेदार है तथा एक रेकार्डेड खातेदार को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यावाही अमल में लाई गई जो विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के खिलाफ है। जबकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार अपीलांट जो कि वादग्रस्त आराजी का रेकार्डेड खातेदार है को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित था। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि एवं विधिक प्रक्रिया को अनदेखी करते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अंपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया, जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री को खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट्स की संयुक्त खातेदारी की अपीलाधीन आराजी का मौके पर मौखिक बंटवारा किया हुआ है तथा राजस्व रेकार्ड में अलग–अलग हिस्से खुले हुये हैं परन्तु विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। जिस कारण पक्षकारान के मध्य कब्जे काश्त को लेकर विवाद रहता है, इसलिए रेस्पोंडेंट संख्या 01/वादी अपने हिस्से की भूमि का मौके पर कब्जा–काश्त के अनुसार बंटवारा करवाना चाहते हैं, जिस हेतु अपीलाधीन वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जबाव दावा मय काउन्टर क्लेम के आधार अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 5, 6, 9व 10 स्वयं उपस्थित एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 12 वकालतन उपस्थिति आये, जिनको सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर उभपक्ष की बहस बाद सरे इजलास अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जो पूर्णतयाः विधि सम्मत एवं विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के अनुरूप किया गया है। अपीलाधीन निर्णय की वादग्रस्त आराजी पर सभी पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की जमीन पर कब्जा–काश्तशुदा हैं। रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01(वादी) को अपनी हक–हिस्से की आराजी को उपजाऊ बनाने एवं अपने कृषि कार्यों के विकास हेतु बैंक संस्थाओं से ऋण आदि प्राप्त करने में परेशानियों को सामना करना पड़ रहा था। इसलियें सभी पक्षकारों के मध्य अपने–अपने कब्जे–काश्त अनुसार

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवारा करने हेतु वाद पेश किया था। जिस अनुसार विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए तैयार किया गया है। विभाजन प्रस्ताव कब्जा काश्त अनुसार प्राप्त हुआ है। साथ ही हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी के पक्षकारान के मध्य हिस्सों को लेकर कोई विवाद नहीं है। और ना ही हिस्से को लेकर अपीलांट द्वारा कोई प्रश्न हाजा न्यायालय में किया गया है। जिस पर अपीलाधीन आदेश, पारित किया है। जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक भूल अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय की हस्तगत पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से भी यह स्पष्ट होता है कि अपीलांट/प्रतिवादीगण को तामील हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। बाद तामील प्रतिवादीगण वकालतन उपस्थिति आये हैं। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। अतः अपीलांटस की अपील को सारहीन होने से खारिज फरमाया जावे।

वकील अपीलांट नें धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। अपीलांट हस्तगत प्रकरण वादग्रस्त आराजी का रिकार्डेड खातेदार है। अपीलांट को सुने बिना ही एकतरफा आदेश पारित किया गया है जिससे अपीलांट को उक्त आदेश की जानकारी नहीं हुई क्योंकि वाद संख्या 145/2022 अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट से तथ्यों को छुपाते हुए प्रस्तुत किया गया एवं एकरतफा आदेश पारित कर लिया गया जिससे अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं हो सकी। उक्त प्रश्नगत आदेश की पालना में बंटवारा प्रस्ताव हेतु राजस्व कर्मचारी मौके पर आए तो अपीलांट को उक्त निर्णय की जानकारी हुई जिस पर अपीलांट द्वारा राजस्व रिकॉर्ड की नकल ली तब अपीलांटस को सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई, जानकारी होते ही अपील श्रीमान जी के समक्ष पेश कर दी। बाद जानकारी यह अपील अन्दर म्याद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये जाने के बावजूद भी वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुए वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर विधिसम्मत निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी की हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तलब विभाजन प्रस्ताव नियमानुसार तैयार किया गया है तथा विभाजन प्रस्ताव तैयारी से पूर्व अपीलांट्स को सूचित किया गया है। अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील बावजूद जानकारी अत्यंत विलंब से पेश की है, जिसका

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

कोई संतोषजनक कारण नहीं बतलाया है। ऐसी स्थिति में अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज फरमायी जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर वहस सुनने के पश्चातं न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा हस्तगत दोनों अपीलों को अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की वहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांटस की बिना विधिक तामील करवाये ही अपीलांट की अनुपस्थिति में एकपक्षीय पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही एकतरफा पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांटस को साक्ष्य सबूत पेश करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। जबकि अधीनस्थ न्यायालय का यह दायित्व था कि वह अपीलांट/प्रतिवादी को सूचित करते और सूचित करने के बाद ही प्रकरण में आगामी कार्यवाही अमल में लाई जानी चाहिये थी। अधीनस्थ न्यायालय में समान विषय वस्तु के संबंध में राजस्व वाद संख्या 145/2022 अन्तर्गत धारा 88, 91, 92(क), 53, 188, 207 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर रखा है। इस प्रकार दोनों प्रश्नगत दावे एक साथ कान्सोलिडेट (हमफीता) होकर एक साथ ही निर्णय होना चाहिये था किन्तु रेस्पों. संख्या 01 से 04 ने उक्त वाद संख्या 145/2022 के तथ्यों को छुपाते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित करवाया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि वादी साफ हाथों से अपने पैरों पर खड़े होकर वाद लड़ने में असफल रहे हैं। उक्तानुसार विचारण न्यायालय ने मूल वाद में प्रतिवादी पक्ष को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं किया गया। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी को प्रतिरक्षा एवं प्रतिपरीक्षा दोनों का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। मात्र प्रक्रियात्मक आधार पर ही अपीलांटगण को उसे विधिक अधिकारों से वंचित किया गया है जो कि न्याय के सारभूत सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में उक्त समस्त तथ्यों को अभाव प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया प्रतीत होता है। अतः अभिलेख पर प्रकट इन सब तथ्यों को देखते हुए अपीलांटगण की अपील को वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के विचारण हेतु संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही पूर्ण कर गुणावगुण पर निर्णीत किंये जाने हेतु अपीलांटगण की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट को आंशिक स्वीकार किया जाकर सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव द्वारा राजस्व वाद संख्या 157/2022 बउनवान पेमाराम वगैरह

(... कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

बनाम किरपाराम वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.05.2024 विधि विरूद्ध पाये जाने से अपास्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटस को साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर प्रदान कर, वाद एवं जबावदावे के आधार पर तनकीयात कायम करते हुए व विधि सम्मत विवेचन करते हुए एवं संबंधित तहसीलदार स्वयं उभय पक्षकारान् की उपस्थिति में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना करते हुए सभी पक्षकारों के मध्य अपने–अपने कब्जे–काश्त अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा करतु हुए तनकीवार गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

29/8/2025
(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 29.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/8/2025
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर